कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ०ग०)

Ph.No. :- (O) 07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा.चि./न.क्र.–157/ 2023/ 3587 अम्बिकापुर, दिनांक 16.10.2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा **Laying of OFC along with ROW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas पद Surajpur District of Chhattisgarh** हेतु क्षेत्रफल 7.396 हे.।
पंजीयन क्रमांक–**FP/CG/OFC/146672/2021**

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./भू–प्रबंध/ विविध/एल.एम.–115–933/1221 दिनांक 30.05.2021
2. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल का पत्र क्र./मा.चि./1550 दिनांक 29.09.2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा–निर्देशों तथा नवीन चेकलिस्ट अनुसार जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग. द्वारा प्रस्ताव तैयार कर डी.जी.पी. एस. सर्वे रिपोर्ट एवं प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

विन्दु क्र.	संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ क्र.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 1) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 7.396 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। (मांग पत्र रांलग्न)	01
2	रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/146672/2021 आबंटित किए गए है। राजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एकनलेजमेंट स्लिप की छायाप्रति संलग्न है।	02 से 11
3	आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ द्वारा सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अंतर्गत वनपरिक्षेत्र सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रतापपुर, घुई , कुदरगढ एवं बिहारपुर के वनभूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वनभूमि 1.465 हे., संरक्षित वनभूमि 5.130 हे., राजस्व वनभूमि 0.801हे. कुल आवेदित वनभूमि रकबा 7.396 हे. है।	12 से 32

4	सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केवल विछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 13.703 हेक्टेयर है।	33 से 38
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।	39 से 40
6	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप 1:50000 स्केल पर संलग्न है।	41
7	जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ द्वारा सूरजपुर जिला के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वनभूमि में ऑप्टिकल फायबर केवल विछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 7.396 हे. का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गो के राईट ऑफ वे में 10 मी. के अंदर कार्य किया जाना है अतः इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है। सूरजपुर जिला के ब्लॉक–सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, ओडगी, भैयाथान एवं प्रतापपुर तहसील अंतर्गत 153 ग्रामों को 4 जी नेटवर्क से जोडा जाना है। जिससे सभी ग्रामवासियों के पंचायत संबधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रुप से संपादित होगें।	42 से 50
8	जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटे, एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालन किया जाता है। छत्तीसगढ राज्य में इस प्रयोजना के जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा सभी 153 ग्राम पंचायतों तथा सरकारी दफतरों से भी जोडा जायेगा। जिसके अंतर्गत सूरजपुर जिला के ब्लॉक–सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, ओडगी, भैयाथान एवं प्रतापपुर तहसील अंतर्गत 153 ग्रामों को जोडकर उच्च गति मोबाईल तथा ब्राडबैंड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी।	51
9	प्रस्तावित वनक्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस संबंध में की जा रही वनभूमि की मांग आवश्यक एवं न्युनतम है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	52
10	इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन किसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नंही किया गया है एवं उनके विरुद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	53
11	प्रयोक्त एजेंसी एवं वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वगनण्डल सूरजपुर का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV) में संलग्न है।	54 से 70
12	आवेदित वनक्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने में एतिहासिक सलि एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है।	71

13	ओ.एफ.सी केवल विछाने में पडने वाले समस्त ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	72 से 133
14	सूरजपुर जिला के कुल वनभूमि का रकबा 165572.246 हेक्टेयर है।	134 से 135
15	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 27 प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकवा 2205.076 हे. है।	136 से 139
16	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इस श्रेणी 01 प्रकरण में कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि रकबा 9.138 हे. है।	140
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. में की परिधि में राष्ट्रीय उघान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी करीडोर न तो प्रस्तावित है न ही स्थित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति सीपित नहीं है।	141
18	आवेदित क्षेत्र के लिए वन अधिकार संबंधित प्रमाण–पत्र कलेक्टर जिला सूरजपुर के द्वारा प्रदान की गई है। प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	142 से 143
19	आवेदित क्षेत्र में राजस्व वनभूमि सम्मिलित है राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु जिला सूरजपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	144 से 150
20	पंजीयन शुल्क तथा प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क कुल राशि क्रमशः 6000 एवं 29000 रुपये जमा कर दिया गया है। जिसे जिला कोषालय में वनमण्डल अधिकारी सूरजपुर के पी.डी. खाते में चालान क्रमांक क्रमशः 16 एवं 13 दिनांक 01.06.2023 को जमा किया गया है। चालान प्रतिलिपि संलग्न है।	151 से 153
21	इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है।	154
22	डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं एफ.एम.आई.एस. रायपुर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संलग्न है।	155 से 287

वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 मय व्यवर्तन प्रस्ताव अनुशंसा सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्नः– संदर्भित पत्र–2 मय व्यपवर्तन प्रस्ताव 03 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर
अम्बिकापुर, दिनांक 16/10/2023

पृ0क्र0/मा.चि./न.क्र.– 157/ 2023/ 3588

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. असिस्टेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, फोर्थ फ्लोर ऑफिस ब्लॉक, ऑफिस नम्बर. 401–405, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डु), रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग— III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :— FP/CG/OFC/146672/2021

14.	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका संबधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया हैं (हां / नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षणो को निरीक्षण नोट के रुप में संलग्न करें।	"नहीं"
15.	क्या संबधित वन संरक्षक भाग (ख) मे दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	"हां"
16.	प्रस्ताव कि स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	"जनहित में अनुशंसा की जाती है"

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर
(छ.ग.)

दिनांक :16/10/2023
स्थान : अम्बिकापुर

हस्ताक्षर [Naveed Shujauddin] "I.F.S"
नाम
सरकारी मोहर